आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें

12. आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपनी स्थापना के प्रारंभिक काल से ही विभिन्न जनपद मुख्यालयों, विकास खण्डों तथा तहसीलों में लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती रही हैं तथा विभिन्न स्तरों पर आयोजित कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया है. ऐसी समीक्षा बैठकों को आयोजित करने के पीछे आयोग का उद्देश्य एक सरल एवं सुगम व्यवहारिक शासन पद्धति को स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है.

उक्त समीक्षा बैठकों के उपरान्त आयोग द्वारा संबंधित आयोजन स्थल पर ही जन सुनवाई/प्रैस वार्ता भी आयोजित की जाती रही हैं. इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन के लिए स्थापित व्यवस्था की समीक्षा; लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के अनुपालन की प्रक्रिया तथा अन्य संबंधित विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है.

जन सुनवाईयों/प्रैस वार्ताओं के माध्यम से जनसामान्य को सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों के उपयोग की जानकारी दी जाती है तथा अधिनियम का प्रचार प्रसार भी किया जाता है. इन बैठकों में आयोग द्वारा प्रकाशित सामग्री भी लोक प्राधिकारियों तथा जनसामान्य के उपयोगार्थ भी बांटी जाती हैं.

आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 में की गयी कुछ प्रमुख समीक्षा बैठकों एवं जन सुनवाईयों/प्रैस वार्ताओं के कार्यवृत्त इस अध्याय में दिये जा रहे हैं.

मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय उत्तराखण्ड सूचना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 17.4.2012 को सूचना अधिकार अधिनियम–2005 को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबध में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

आयोजित बैठक में उपस्थित जनपद के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची संलग्न है।

1– बैठक के प्रारंभ में मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्व से अवगत कराया गया. उसमें उनके क्या दायित्व हैं उससे अवगत कराया गया तथा अधिनियम का अध्ययन करने के निर्देश दिये गये।

2– मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा जनपद के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के नियम 5(4) के अन्तर्गत संबंधित कार्यलय के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने लोक सूचना अधिकारियें को सूचना से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्रदान करेगे। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–5(5) के अधीन संबंधित कर्मचारी जिसके पटल से संबंधित सूचना है, वह स्वंय डीम्ड लोक सूचना अधिकारी हो जायेगा। समस्त लोक प्राधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष इस तथ्य को समस्त कर्मचारियें के संज्ञान में लायें।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी टि0ग0)

3– मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्देश दिये गये कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–7(3) के अन्तर्गत अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरेाधकर्ता से अतिरिक्त शुल्क जमा कराये जाने की व्यवस्था है। अनुरोधकर्ता से निर्धारित अतिरिक्त शुल्क जमा कराने के लिए नोटिस दिया जाना आवश्यक है। उक्त अतिरिक्त शुल्क का नोटिस अनुरोधकर्ता को अनुरोध पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप संलग्नक–5 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना आवश्यक है। यदि अनुरोधकर्ता को समय से नोटिस नही दिया जाता है तो निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराये जाने पर उसकी वसूली संबंधित लोक सूचना अधिकारी से हो सकती है। अतिरिक्त शुल्क के नोटिस के विरूद्ध भी अपील करने के लिए नोटिस में प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी टि0ग0)

4– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(3) के अन्तर्गत ऐसे अनुरोध पत्र जिनमें सूचना अन्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जानी है, ऐसे अनुरोध पत्र प्राप्ति के 05 दिन के अन्दर संबंधित लोक सूचना अधिकारी को हर दशा में निर्धारित प्रारूप संलग्नक–7 में हस्तान्तरित कर दिये जाये। ऐसा नही लिखा जायेगा, कि यह सूचना विभाग से संबंधित नही है। समस्त लोक सूचना अधिकारी कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी टि0ग0)

5– भारत का कोई भी नागरिक अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर सूचना मांग सकता है। अनुरोधकर्ता को याचित सूचना अनुरोध पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर हर दशा में दी जानी चाहिए। सूचना उपलब्ध न होने की दशा में यह सूचना ''उपलब्ध नही है'' न लिखा जाय, अपितु ''इस कार्यालय में इस बिंदु की सूचना धारित नही है'' लिखा जाय। समस्त लोक सूचना अधिकारी अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी टि0ग0)

6– लोक सूचना अधिकारी जिन प्रकरणों में अनुरेाधकर्ता को अनुरोध पत्र प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु नोटिस भेजे गये है, ऐसे प्रकरणों में अतिरिक्त शुल्क जमा होने के उपरांत तथा अनुरोध पत्र प्राप्त होने के विलम्बतम 30 दिन को अवधि के अन्दर याचित सूचना उपलब्ध करा दी जाय। समस्त लोक सूचना अधिकारी कृपया कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी टि0ग0)

7— मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि तीसरे पक्ष के प्रकरण में अनुरोध पत्र प्राप्ति के 40 दिन के अन्दर अनुरोधकर्ता को सूचना देनी होगी अनुरोधकर्ताओं को सूचना बिन्दुवार उपलब्ध कराई जाय। यदि सूचना से संबंधित अभिलेख विनिष्ट हो चुके है तो विनिष्टीकरण से संबंधित प्रमाण संलग्न करना होगा। धारा–8 के अपवादों को छोडकर हर सूचना अनुरोधकर्ता को दी जाय। विभागीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम सूचना देते समय अवश्य अंकित किया जाय। समस्त लोक सूचना अधिकारी कृपया कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त लोक सूचना अधिकारी टि0ग0)

8— मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली प्रथम अपीलों की सुनवाई संबंधित विभागीय अपीलीय अधिकारी स्वयं करेंगे। अपील सुनवाई हेतु सप्ताह में एक दिन अवश्यक निर्धारित किया जाय। अपीलकर्ता के उपस्थित न होने पर भी अपील का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर किया जाय। अपीलकर्ता की अनुपस्थिति के आधार पर अपील निरस्त न की जाय। विभागीय अपीलीय अधिकारी अपीलकर्ता को मांगी गई सूचना अवश्य दिलवायें। यदि मांगी गई सूचना अपीलकर्ता को समय से प्राप्त नही होती है, और उसे प्रत्यक्ष क्षति होती है, तो उक्त क्षति की भरपाई लोक प्राधिकारी से की जा सकती है।

(कार्यवाही विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, टि0ग0)

9— सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–22 मे व्यवस्था की गयी है कि Official Secrets Act-1923 या किसी कानून द्वारा किसी प्रलेख में कोई अंसगत बात होते हुए भी अर्थात सूचना गोपनीय होते हुए भी अनुरोधकर्ता को दी जायेगी। संबंधित लोक सूचना अधिकारी तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी, टि0ग0)

10— मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा 17 बिन्दुओं से संबंधित विभागीय मैनुअल को 30 जून तक हर दशा में अपडेट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अपडैट विभागीय मैनुअल की एक सॉफ्ट कॉपी सूचना आयोग एवं एक कॉपी विभागाध्यक्षों को उपलब्ध करायी जाय। यदि किसी के द्वारा मैनुअल के अंश की प्रति मांगी जाती है तो निर्धारित शुल्क प्राप्त कर उसे उपलब्ध करा दी जाय। अपडेटेड मैनुअल को जनपद एवं विभाग की वैबसाईट पर भी अपलोड कर दिया जाये।

(कार्यवाही समस्त लोक प्राधिकारी/कार्यालाध्यक्ष टि0ग0)

11— मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है, कि जिला अधिकारी टि0ग0 अपनी मासिक बैठकों के समय जनपद के समस्त लोक प्राधिकारियों की विभागीय मैनुअल को अपडेट करने के संबंध में निर्देश दे कर हर महीने प्रगति हेतु समीक्षा करेंगे।

(कार्यवाही जिला अधिकारी टि0ग0)

12— मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा सूचना का अधिकार से संबंधित विवरण पत्रों को निर्धारित तिथियों पर सूचना आयोग, को उपलब्ध कराने हेतु संबंधितो को निर्देशित किया गया। समस्त लोक सूचना अधिकारी कृपया कडाई से अनुपालन करें।

(कार्यवाही समस्त लोक प्राधिकारी/समस्त लोक सूचना अधिकारी टि0ग0)

13— मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि आर0टी0आई0 कार्यकर्ताओं की जानमाल की सुरक्षा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस संबंध में जिला अधिकारी टि0ग0, पुलिस अधीक्षक टिहरी एवं समस्त उप जिलाधिकारी / क्षेत्राधिकारी पुलिस तथा थाना एवं नायब तहसीलदार स्तर पर एवं शिकायत पंजिका अध्यावधिक रूप से रखी जाय। जांच राजस्व पुलिस एवं नियमित पुलिस के निर्देशित स्तर से ही करा कर कार्यवाही की जाय। जांच के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाय। जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इसे सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगे।

(कार्यवाही जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उप जिलाधिकारी / क्षेत्राधिकारी, पुलिस, टि0ग0।

14– मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा अवगत कराया गया है कि सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील के निस्तारण के समय दिये गये आदेशों का लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अनुपालन नही किया जा रहा है। यदि स्थिति ठीक नही है। सूचना आयोग के आदेशों का कडाई से अनुपालन किया जाय। अनुपालन न करने की दशा में संबंधित अधिकारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही के आदेश पारित किया जाना सूचना आयोग की मजबूरी है। अतः समस्त लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय अधिकारी सूचना आयोग द्वारा पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी जनपद टि0ग0)

15– सूचना आयोग के द्वारा अपीलों के निस्तारण के समय शास्ति के आदेश पारित किये जाते हैं जिसकी वसूली लोक सूचना अधिकारी के वेतन से की जाती है। वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी/नरेन्द्रनगर कृपया जनपद में ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी की वेतन से वसूली करने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(कार्यवाही वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी/नरेन्द्रनगर)

16– मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा अभिलेख /पत्रावलियों को राजस्व मैनुअल, शासनादेशों एवं विभागाध्यक्षो के निर्देशो /आदेशों के अनुसार निर्धारित अवधि के अन्दर विनिष्टीकरण के संबंध में निर्देश दिये गये है कि संचित अभिलेखों का निर्धारित अवधि में नियमानुसार विनिष्ट कर दिया जाय।

(कार्यवाही समस्त लोक प्राधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल)

17– मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि संबंधित लोक सूचना अधिकारी एवं विभागीय अपीलीय अधिकारी राज्य सूचना आयोग में अपीलो/शिकायतों की सुनवाई के समय अनुरोध पत्रों की पंजिका एवं अपीलों की पंजिका अपने अभिकथन के साथ अवश्य साथ लाये।

(कार्यवाही समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारी/समस्त लोक सूचना अधिकारी जनपद टिहरी गढ़वाल)

बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि/प्रेस/लोक सूचना अधिकारियों / विभागीय अपीलीय अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए संबंधितो को उक्त बिन्दुओं पर निर्देशानुसार कार्यवाही निर्देश देते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(एन0एस0नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

कार्यालय जिलाधिकारी , टिहरी–गढवाल ।

संख्या– / दिनांक , 2012

प्रतिलिपिः– निम्नाकिंतो को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– बैठक का कार्यवृत्त मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय को अनुमोदनार्थ प्रेषित।

2– जिला अधिकारी टि0ग0।

3– पुलिस अधीक्षक टि0ग0।

4– समस्त लोक प्राधिकारी, जनपद टि0ग को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु अवगत कराये।

अपर जिलाधिकारी,
टिहरी–गढवाल

श्री एन.एस.नपलच्याल, माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिनांक 7.1.13 को कृषि विज्ञान महाविद्यालय के सभागार में आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- डा0 जे.पी.पांडे, कुलसचिव, पंतनगर विश्वविद्यालय।
- डा0 डी.पी.पंत, निदेशक प्रशासन, पंतगनर विश्वविद्यालय।
- समस्त अधिष्ठाता, पंतनगर विश्वविद्यालय।
- पत्रावली में संलग्न विवरण के अनुसार विश्वविद्यालय के लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी।

समीक्षा बैठक के आरंभ में कुलसचिव/कार्यवाहक कुलपति जी द्वारा माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय का विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन करते हुए सम्मानित किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विभिन्न प्राविधानों पर व्यापक प्रकाश डाला गया। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा उपस्थित समस्त अपीलीय/लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का महत्व बताया गया तथा अवगत कराया गया कि भारत के संविधान के बाद जन साधारण द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ही है, जिसके द्वारा जन साधारण की वर्षों से चली आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान हो पाया है। उन्होंने समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम का अध्ययन करने का आग्रह किया।

माननीय आयुक्त महोदय द्वारा अधिनियम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्य रूप से 48 घंटे के अंदर सूचना दिए जाने संबंधी प्राविधानों पर विस्तृत व्याख्या करते हुए अवगत कराया गया कि ऐसे आवेदनों पर संबंधित लोक सूचना अधिकारी अपने विवेक के अनुसार स्वयं निर्णय लेने हेतु सक्षम है कि चाही गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है या नहीं। माननीय आयुक्त द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि यदि सूचना 48 घंटे के अंदर दिए जाने लायक न समझी जाए तो भी अपीलार्थी को भी इस संबंध में अवगत करा दिया जाए।

माननीय आयुक्त द्वारा इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आवेदन प्राप्त होने पर यथाशीघ्र तथा प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र प्राप्ति के विलम्बतम 30 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में सूचनाएं आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएं तथा प्रथम अपील की सुनवाई अपील हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर व विशेष परिस्थितियों में 45 दिन के भीतर अपील की सुनवाई करते हुए प्रकरण को निस्तारित किया जाए। विभागीय अपील का निस्तारण बिन्दुवार किया जाये तथा speaking order पारित किया जाये।

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत तैयार 17 बिंदुओं पर आधारित मैनुअल के बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई जिसके संबंध में आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया कि मैनुअल दिनांक 31 मार्च 2012 की दिनांक तक अद्यतन है एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा चुका है।

माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों की सूचनों को क्रमबद्ध तरीके से ऑनलाइन कर दिया जाए साथ ही उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि प्रारंभ में एक या दो विभागों की सूचनाओं को कमप्यूटरीकृत कर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ऑन लाइन कर दिया जाए ताकि नागरिकों द्वारा चाही गई सूचनाएं सीधे वेबसाइट से प्राप्त की जा सकें।

इसके अतिरिक्त विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों /अपीलीय अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासाओं का समाधान भी माननीय आयुक्त महोदय द्वारा विस्तार से किया गया।

अंत में कुलसचिव/कार्यवाहक कुलपति जी द्वारा माननीय सूचना आयुक्त का धन्यवाद व्यक्त करते हुए समीक्षा बैठक का समापन किया गया।

निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण
/नोडल अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधिनियम

दिनांकः 23/08/2012 को जिला कार्यालय सभागार में श्री प्रभात डबराल, मा0 सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड देहरादून की अध्यक्षता में सूचना अधिकार अधिनियम के कियान्वयन हेतु जनपदीय लोक सूचना अधिकारियों,अपीलीय अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों के साथ आहूत गोष्ठी/बैठक का कार्यवृत्त :

1S867
बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्नक–1 पर है ।

गोष्ठी/बैठक शुभारम्भ करते हुए सर्वप्रथम नोडल अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा श्री प्रभात डबराल ,मा0 सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड देहरादून का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया तथा गोष्ठी/बैठक की अध्यक्षता करते हुए जनपद में हुई आपदा पर दुःख जताया गया तथा बताया गया कि उनका दौरा काफी पहले ही निर्धारित कर दिया गया था तथा अधिनियम के सफल कियान्वयन हेतु जनपदीय विभागीय अपीलीय अधिकारियों,लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों के साथ गोष्ठी /बैठक कर अधिनियम की अद्यतन जानकारी सभी उपस्थित अधिकारियों के सम्मुख रखी जानी आवश्यक समझी गई। अतः निर्धारित कार्यक्रमानुसार गोष्ठी करना उचित समझा गया।

2. मा0 सूचना आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों से अपील की गई कि यदि अधिकारीगणों को अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने में कोई कठिनाई हो रही है,या उनके मन में कोई ऐसे प्रश्न हैं जो गोष्ठी में रखे जाने हैं तो अपने प्रश्नों को बिना किसी संकोच के गोष्ठी में रख सकते हैं। मा0 सूचना आयुक्त की पृच्छा के क्रम में सर्वप्रथम जिला सेवायोजन अधिकारी द्वारा अपना प्रश्न रखते कहा गया कि अनुरोधकर्ता के अनुरोध पत्र के क्रम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा तैयार की गई सूचना का अतिरिक्त शुल्क जिसका मूल्य मात्र रू,2.00 से आरम्भ होता है तथा इस अतिरिक्त शुल्क को जमा कराने हेतु लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को नियत समयान्तर्गत पंजीकृत डाक से नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है,जबकि पंजीकृत डाक में रजिस्ट्री पर आने वाला व्यय न्यूनतम रू,25.00विभाग को अदा करना पड़ता है।अतिरिक्त शुल्क जमा करने के पश्चात सूचना अनुरोधकर्ता को प्रेषित करने में पुनः रू,25.00 का व्यय करना पड़ता है। इसप्रकार मात्र एक कागज जिसे अनुरोधकर्ता को देने में रू,02.00 सरकार को प्राप्त होते हैं,जबकि इस पर होने वाला सरकारी व्यय उससे कई गुना अधिक हो जाता है। मा0 आयुक्त द्वारा इस संबंध में अवगत कराया

1

RO
30/10/12

गया कि सूचना के अधिकार को प्रभावी करने से पूर्व राज्य सरकार को नियमावली तैयार करने के लिए 120 दिन अर्थात 04 माह का समय दिया गया था ताकि सरकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सूचना की प्रकियाओं पर गहनता से मनन कर ले। अतिरिक्त शुल्क की प्रकिया के निर्धारण के सम्बन्ध में जब तक सरकार द्वारा कोई विधिवत् प्रकिया निर्धारित नहीं कर ली जाती है तब तक पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही अतिरिक्त शुल्क लेते हुए सूचना प्रदान की जायेगी। नियमावली बनाने का काम सरकार का है।

3. बैठक में उपस्थित अधिकारी द्वारा मा0 सूचना आयुक्त के समक्ष प्रकरण रखा गया कि कुछ अनुरोधकर्ता अपने अनुरोध में उल्लिखित इच्छित सूचनाओं को प्राप्त करने के उपरान्त पुनः अपने पुराने अनुरोध पत्र से सम्बन्धित सूचनायें मांग रहे हैं। इस सम्बन्ध में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि जो सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी हों, उसे पुनः मांगने से किसी को रोका नहीं जा सकता है। संबंधित लोक सूचना अधिकारी ऐसी सूचना जो पूर्व में भी अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी जा चुकी है, उसे पुनः नये अनुरोध पत्र के माध्यम से मांगे जाने पर पूर्व पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत करा सकते हैं कि वांछित सूचना आपको कार्यालय के संलग्न पत्र के द्वारा पूर्व ही उपलब्ध करा दी गई है।

4. गोष्ठी में उपस्थित अन्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा मा0 सूचना आयुक्त के सम्मुख अधिनियम के तहत सूचना दिये जाने हेतु उस पर आने वाले व्यय हेतु कंटीजेंसी के सम्बन्ध में मा0 आयोग के स्तर से शासन को निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा बैठक में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे अपने विभाग स्तर से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निस्तारित किये जाने वाले अनुरोध पत्र इत्यादि पर आने वाले व्यय हेतु कंटीजेंसी में पृथक से बजट दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को भिजवायें, ताकि राज्य सरकार/शासन द्वारा इस सम्बन्ध में मद का सृजन करते हुए धनावंटन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

5. स्वस्थ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए ई–गवर्नेंस के महत्व पर जोर देते हुए मा0 आयुक्त द्वारा गोष्ठी में उपस्थित खण्ड शिक्षा अधिकारी देवाल से शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जनसामान्य के लिए अपलोड की गई जानकारी के सम्बन्ध में पूछा गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा

बतया गया कि प्रत्येक खण्ड कार्यालय में खण्ड क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत् शिक्षकों एवं उनकी खण्ड के अन्तर्गत तैनाती आदि की सूचना पोर्टल पर डाली गई है। इस सम्बन्ध में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा गोष्ठी में उपस्थित अधिकारियों के सम्मुख जानकारी रखी गई कि मध्यप्रदेश राज्य में शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किये गये पोर्टल पर शिक्षा विभाग के सम्बन्धित सभी जानकारी जिसमें,शिक्षा विभाग के सृजित पद,भरे गये पद,किस पद पर किस शिक्षक की तैनाती कब से कब तक रही,कब से तैनात है,उसकी शैक्षिक योग्यता ,प्रथम नियुक्ति तिथि,स्थायीकरण तिथि,सेवानिवृत्ति की तिथि के साथ–साथ स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के तहत बच्चों को दिये जाने वाले भोजन के मेमो की दैनिक जानकारी,कक्षावार शिक्षारत् बच्चों के वार्षिक आंकडें एवं और अन्य ऐसी जानकारी प्रदर्शित की गई है,जो जनसामान्य के लिए आवश्यक हैं। कोई भी व्यक्ति/जनसामान्य मध्य प्रदेश की शिक्षा विभाग का पोर्टल पर क्लिक करते ही सम्पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी मध्य प्रदेश के किसी भी विद्यालय के सम्बन्ध में प्राप्त कर सकता है। गोष्ठी में मा0 आयोग द्वारा शिक्षा विभाग के साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों से भी मध्य प्रदेश की भांति अपना विभागीय पोर्टल तैयार करते हुए एन0आई0सी0 के माध्यम से जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने की अपेक्षा की गई,ताकि जनसामान्य को सरलतापूर्व विभाग के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।

6. गोष्ठी में मा0 सूचना आयुक्त द्वारा इसीक्रम में एक जानकारी उपस्थित अधिकारियों के सम्मुख रखी गई,जिसमें बताया गया कि श्री राकेश कुमार के सचिव,आपदा प्रबन्धन के पद पर सेवारत् रहते निर्देश दिये गये थे कि सभी जनपद आपदा से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना "आपदा डाटा" में तैयार जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करें,तथा उसे अद्यावधिक भी रखें। यह भी बताया गया कि एक अनुरोधकर्ता द्वारा आपदा के सम्बन्ध में सूचना मांगे जाने पर 13 जनपदों में से मात्र 03 जनपद ही समय से सूचना दे पाये,जो हार्ड कापी में अनुरोधकर्ता को उपलब्ध करायी गई। राज्य के शेष 10 जनपदों द्वारा अनुरोधकर्ता के अनुरोध पत्र पर समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकी,जिस कारण उसे मा0 आयोग में शिकायत दर्ज करानी पड़ी तथा आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में सभी जनपदों के लोक सूचना अधिकारियों से कारण स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता को सूचना उपलब्ध करायी गई। मा0 आयुक्त द्वारा अपेक्षा की गई कि जनपद की आपदा से सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक रखी जाये,तथा उसे जनपद की वेबसाइट पर यदि अपलोड नहीं किया गया है तो अपलोड करने की कार्यवाही पूर्ण की

जाय,तथा अपडेट सूचनायें हार्ड एवं साफ्ट कापी में भी रखी जायें,ताकि अनुरोधकर्ता अथवा शासन द्वारा जनपद से सम्बन्धित सूचनायें तत्काल मांगे जाने की स्थिति में सूचनायें अविलम्ब उपलब्ध हो सकें। मा. सूचना आयुक्त ने कहा कि कारगर ई–गवर्नेंस सक्षम प्रशासन की कुंजी है।

7. लोक निर्माण विभाग में तैनात लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी चाही गई कि कोई बी0पी0एल0 अनुरोधकर्ता अपने बी0पी0एल0 कार्ड के छायाप्रति संलग्न करते हुए आवेदन करता है,लेकिन उसका बी0पी0एल0 कार्ड नवीनीकृत न होने पर उसकी वैधता समाप्त हो गई हो,तो क्या ऐसे बी0पी0एल0 अनुरोधकर्ता का अनुरोध पत्र स्वीकार किये जाने योग्य समझा जाय। मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि अनुरोधकर्ता का बी0पी0एल0 कार्ड सूचना चाहने हेतु वैधता नहीं रखता है, तो उसका निःशुल्क सूचना पाने का अनुरोध स्वयं ही निरस्त किये जाने योग्य है तथा ऐसी दशा में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

8. गोष्ठी में उपस्थित लोक सूचना अधिकारी/अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद, चमोली–गोपेश्वर द्वारा मा0 सूचना आयुक्त को अवगत कराया गया कि कुछ ऐसे अनुरोधकर्ताओं द्वारा काफी संख्या में ऐसी सूचनायें साफ्ट कापी में मांगी जा रही हैं,जो कि बहुत ही विस्तृत हैं तथा उन्हें सी.डी./साफ्ट कापी में तैयार करना सीमित समयान्तर्गत सम्भव नहीं है,जो अनुरोधकर्ता स्वयं भी जानते हैं,इसलिये वे जानबूझकर विस्तृत सूचनायें साफ्ट कापी में दिये जाने हेतु आवेदन कर रहे हैं, ताकि कार्यालय का सम्पूर्ण स्टाफ ऐसी सूचनायें तैयार करने में व्यस्त हो जायें एवं कार्यालय के अन्य कार्य प्रभावित होते रहें। मा. सूचना आयुक्त ने कहा कि जो सूचनाएं सॉफ्ट कॉपी के रूप में धारित नहीं हैं उन्हें सॉफ्ट कॉपी बनाकर देना जरूरी नहीं है। वैसे, यदि सभी सूचनाएं कम्प्यूटर में धारित हों तो लोक सूचना अधिकारियों को सहूलियत होगी। मा0 आयुक्त द्वारा सपष्ट किया गया कि एक्ट में सूचना समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाना लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है तथा अपने दायित्व के तहत कोई भी लोक सूचना अधिकारी किसी भी अनुरोधकर्ता को सूचना देने के बाध्य है। सूचना उपलब्ध न कराये जाने के औचित्य को सिद्ध दायित्व भी अधिनियम की धारा 19 (5) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर है। ऐसे अनुरोधकर्ता का उद्देश्य सूचना से अधिक किसी लोक सूचना अधिकारी को तंग करना अथवा उन्हें बदनाम करना है, के सम्बन्ध में आयोग पूर्ण

सतर्क है, तथा ऐसे अनुरोधकर्ताओं पर आयोग अपने स्तर से विधि सम्मत कार्यवाही कर रहा है। मा0 आयुक्त द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना अधिकार के अनुरोध पत्रों के अलग से जिम्मेदारी न समझते हुए अपने दायित्वों में उसका संविलियन करते हुए अनुरोध पत्रों का समयान्तर्गत निस्तारण करने में रूचि लें। उन्होंने कहा.कि सूचना आयोग बिना अवसर दिये किसी भी लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध दण्डनात्तक कार्यवाही नहीं करता है,लेकिन यदि सूचना समयान्तर्गत देने में अधिक लापरवाही बरती गई है,या द्वेशवश अनुरोध पत्र अस्वीकार किया गया है,या जानबूझकर अपूर्ण अथवा भ्रामक सूचनायें दी गई हैं,इसके अतिरिक्त यदि सूचना को नष्ट किया गया एवं सूचना के प्रकटन में व्यवधान कारित किया गया, की पुष्टि होने पर ही मा0 सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत कार्यवाही की जाती है। गोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि अधिनियम में निहित व्यवस्थाओं के तहत अनुरोध पत्रों का समयान्तर्ग निस्तारण किये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

9. बैठक में उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अपीलीय अधिकारी द्वारा बताया गया कि कतिपय अनुरोधकर्ताओं द्वारा नियत समयान्तर्गत सूचना प्राप्त न होने पर विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख प्रथम अपील प्रस्तुत न कर मा0 आयोग में द्वितीय अपील योजित कर दी जाती है तथा मा0 आयोग द्वारा उसे स्वीकार कर लिया जाता है,जो अधिनियम के विरूद्ध है। मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि द्वितीय अपील के रूप मा0 आयोग द्वारा तभी अपील स्वीकार की जाती है, जब मा0 आयोग को यह पुष्टि हो जाती है कि अनुरोधकर्ता द्वारा प्रथम अपील विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख की जा चुकी है। शिकायत के रूप में अवश्य प्रार्थना पत्र स्वीकार कर शिकायत पर लोक सूचना अधिकारी से देरी के सम्बन्ध में अवश्य स्थिति स्पष्ट करायी जाती है,लेकिन लोक सूचना अधिकारी को अधिनियम के तहत युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही शिकयत का निस्तारण किया जाता है। प्रथम अपील के बिना मा0 आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने वाले अपीलकर्ताओं के अपीलीय प्रार्थना पत्रों को विभागीय अपीलीय अधिकारियों को अधिनियम की धारा 19 (6) के तहत निस्तारित किये जाने हेतु विभागीय अपीलीय अधिकारियों को प्रतिप्रेषित किया जाता है। मा0 सूचना आयुक्त ने सभी को आश्वस्त किया कि अनुरोध पत्रों में इच्छित, सूचनाओं से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हां लोक सूचना अधिकारी अपने विभाग एवं दूसरे विभाग की सूचनाओं के सम्बन्ध में अवश्य जानकारी रखें, ताकि अनुरोध

पत्रों का सरल विधि से निस्तारण किया जा सके। मा0 आयोग द्वारा किसी भी लोक सूचना अधिकारी को भयभीत करने की कार्यवाही का कोई प्रयास नहीं किया जाता है,अपितु पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का का प्रयास किया जाता है। मात्र उन मामलों में ही मा0 आयोग द्वारा सख्त निर्णय लिया जाता है जहां पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य से विमुख होकर सूचना उपलब्ध कराये जाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाता है,या सूचना प्रकटन करने में घोर लापरवाही बरती जानी परिलक्षित होती है। मा. आयुक्त ने कहा कि आयोग लोक सूचना अधिकारी का मित्र एवं सहयोगी है। अपने कर्तव्यों का सही ढ़ंग से निर्वहन कर रहे लोक सूचना अधिकारियों को आयोग से आतंकित होने की जरूरत नहीं है।

10. गोष्ठी में शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय लोक सूचना अधिकारी ने जानना चाहा कि यदि अनुरोधकर्ता अपने अनुरोध पत्र के द्वारा प्रश्न के रूप में किसी सूचना को उत्तर चाहता है तो क्या उसका उत्तर देना आवश्यक है। मा0 आयुक्त द्वारा बताया गया कि सूचना के अधिकार में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके विभाग में उपलब्ध अभिलेखित सूचना ही दी जानी है,प्रश्नों का जवाब देना अधिनियम में कहीं पर भी परिभाषित नहीं है। यदि कोई प्रश्न के रूप मे सूचना पूछ रहा है तो उसे उस बिन्दु पर अभिलेखित सूचना उपलब्ध न होने की दशा में यह अवगत कराया जा सकता है कि आपके उक्त बिन्दु पर कोई भी अभिलेखित सूचना कार्यालय स्तर पर संरक्षित नहीं है। "सूचना" को स्पष्ट किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अन्य बनाम आदित्य बन्द्योपाध्याय और अन्य में सिविल अपील सं0(6454/2011)में निर्णय दिया गया है, जिसेंका सुसंगत अंश निम्नानुसार है:–

" इस मोड़ पर यह आवश्यक है कि आर.टी.आई. अधिनियम के विषय में कुछ भ्रांतियों को स्पष्ट कर दिया जाए। आर.टी.आई. में सभी सूचना जो उपलब्ध और विद्यमान हैं ,तक पहुँच का प्राविधान है। यह अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) और (त्र) के अन्तर्गत "सूचना" और सूचना का अधिकार की परिभाषाओं और धारा 3 के सम्मिलित पठन से स्पष्ट है । यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा अथवा सारों,अथवा आंकड़ों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा 8 के प्राविधानों का ध्यान रखते हुए पहुँच बना सकता है। किन्तु जहां सूचना किसी लोक प्राधिकरण को कोई ज्ञात नहीं है,और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अन्तर्गत बनाये रखी जानी अपेक्षित नहीं हैं,अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। किसी लोक

प्राधिकरण से निष्कर्षों को निकालने और/अथवा मान्यताओं को बनाने की या, "मत" दिये जाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न ही किसी आवेदक को "मत" अथवा "सलाह" को प्राप्त करने और दिया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 2 (च) में "सूचना" की परिभाषा में "मत" अथवा "सलाह" का संदर्भ मात्र लोक प्राधिकारण के अभिलेखों में उपलब्ध ऐसे मसौदे से संदर्भित है। अनेक लोक प्राधिकरण,एक लोक सम्पर्क अधिकारी के रूप में,नागरिकों को सलाह,मार्गदर्शन और मत उपलब्ध करवाते हैं। किन्तु यह पूर्णतः स्वैच्छिक है और आर.टी.आई. अधिनियम के अन्तर्गत किसी बाध्यता के साथ इसे भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए।"

11. गोष्ठी में उपस्थित ग्राम्य विकास विभाग के सहायक लोक सूचना अधिकारी, द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ अनुरोधकर्ताओं द्वारा काफी लम्बे–चौड़े प्रारूप तैयार करते हुए सूचनायें मांगी जाती हैं,जिन्हें तैयार करने में काफी समय लगता है,जिससे विभाग के अन्य शासकीय कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। क्या अनुरोधकर्ताओं को उनके द्वारा तैयार किये गये प्रारूप पर सूचनायें दी जानी आवश्यक हैं। मा0 सूचना आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि यदि आपके कार्यालय की अभिलेखित सूचनाओं में अनुरोधकर्ता के द्वारा दिये गये प्रारूप पर सूचना पूर्ण कर दी जा सकती हैं,तो लोक सूचना अधिकारियों को अनुरोधकर्ता द्वारा दिये गये प्रारूप पर ही सूचनायें देनी होंगी। इसी क्रम में एक अन्य विभाग के लोक सूचना अधिकारी ने जानना चाहा कि यदि कार्यालय में अभिलेखित सूचना से सम्बन्धित कोई शासनादेश संरक्षित है तथा उस शासनादेश विभिन्न पैराओं में हैं,उन पैराओं में जो उल्लिखित है,उसको स्पष्ट करते हुए किसी अनुरोधकर्ता के अनुरोध पत्र पर सूचना दी जा सकती है। मा0 आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि जब शासनादेश के विभिन्न पैराओं में अनुरोधकर्ताओं की समस्त इच्छित सूचनायें पूर्ण हो रही हैं,तो उसे शासनादेश की प्रति उपलब्ध करा दी जाये तथा यह भी अवगत करा दिया जाये कि आपके द्वारा समस्त इच्छित सूचनायें/समस्त स्पष्टीकरणों की सूचना उक्त शासनादेश में ही निहित है।

12. गोष्ठी में उपस्थित लोक सूचना अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि एक अनुरोधकर्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा अपने अनुरोध पत्र जो कि निदेशालय से प्राप्त हुआ है,के माध्यम से जनपद अन्तर्गत प्रत्येक गांव में निवास करने वाले अनुसूचित जाति की उप जाति शिल्पकार, कोहली,की सूचनायें चाही गई हैं,जो कि लोक सूचना अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं समस्त ग्राम विकास अधिकारियों को अन्तरित की गई हैं,लेकिन अनुरोधकर्ता की सूचनायें इतनी विस्तृत हैं कि उन्हें समयान्तर्गत उपलब्ध कराया

जाना सम्भव नहीं है। ये सूचनाएं इस रूप में विभाग के पास धारित ही नहीं हैं तथा इन्हें संकलित करने में ही महीनों लगेंगे,इन सूचनाओं को एक माह अन्दर किस प्रकार अनुरोधकता को उपलब्ध कराया जा सकता है। मा0 आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये कि प्रथमतया अनुरोध पत्र निदेशालय स्तर से ही गलत अन्तरित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी चाहें तो अनुरोध पत्र को यह लिखते हुए अनुरोधकर्ता को वापस. कर सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भी सूचना कार्यालय में संरक्षित अभिलेखों में अभिलेखित नहीं है। मा0 आयुक्त द्वारा यह भी आश्वस्त किया कि मा0 आयोग में अनुरोधकर्ता द्वारा यदि शिकायत या अपील की जाती है तो इस सम्बन्ध में मा0 आयोग अपने स्तर से उचित निर्णय लेते हुए प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर निस्तारण किया जायेगा।

13. लोक निर्माण बिभाग में सेवारत् लोक सूचना अधिकारी द्वारा मा0 सूचना आयुक्त के संज्ञान में लाया गया कि कुछ अनुरोधकर्ताओं द्वारा विभाग में सेवारत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की चल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु आवेदन किये जा रहे हैं,जबकि विभाग में उक्त सूचना संकलित नहीं है, जिसे संकलित करने में अत्यधिक समय लगता है तथा इच्छित सूचना समयान्तर्गत अनुरोधकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इस सम्बन्ध में मा0 आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी की चल अचल सम्पत्ति का सूचना का अधिकार के अन्तर्गत मांगा जाना अधिनियम का उल्लंघन नहीं है,बल्कि यह एक कानून है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक अधिकारी को वार्षिक रूप से अपनी चल अचल सम्पत्ति का खुलासा 31 दिसम्बर तक करना अनिवार्य है। इसीप्रकार राज्य कर्मचारी को प्रत्येक 05 वर्ष में अपनी चल–अचल सम्पत्ति को 31 दिसम्बर तक घोषित करना कानूनन अनिवार्य है। यदि राज्य सरकार का कोई अधिकारी/कर्मचारी कानून का उल्लंघन करता है तो इसके लिए उसके विरूद्ध नियम संगत कार्यवाही भी की जा सकती है। राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी की चल–अचल के सम्बन्ध में सूचना दिया जाना अधिनियम की धारा–11 के तहत तीसरे पक्ष का मामला नहीं है। यह अधिकारी / कर्मचारी को स्वतः ही कानूनन घोषित करना अनिवार्य है। बैठक में उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि सरकारी अधिकारी/कर्मचारी अपनी चल–अचल सम्पत्ति को नियत प्राविधानानुसार स्वयं लिखित रूप में घोषित करें तथा प्रत्येक विभाग अपने अधिकारियों/ कर्मचारियों की चल अचल सम्पत्तियों का पूर्ण

ब्यौरा एन0आई0सी0 के माध्यम से जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करायें।

14. गोष्ठी में उपस्थित लोक सूचना अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली द्वारा मा0 आयुक्त के समक्ष अपनी बात रखते हुए अवगत कराया गया कि किसी अनुरोधकर्ता द्वारा मेरी व्यक्तिगत ए0सी0आर0 (वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि) के सम्बन्ध में सूचना निदेशालय से मांगी गई। निदेशालय द्वारा मेरा पक्ष सुने अथवा लिखित सहमति/असहमति के बिना ही अनुरोधकर्ता को मेरी गोपनीय प्रविष्टि दे दी गई है। मा0 आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा गया कि यदि ऐसा हुआ तो यह गलत है। निदेशालय स्तर के लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वे आवेदन प्राप्त होने के 05 दिन अन्दर अधिनियम की धारा –11 के तहत तीसरे पक्ष से इस सम्बन्ध में सहमति देने हेतु पृच्छा करते तथा अधिनियम की धारा 11(3) के तहत अनुरोध पत्र का निस्तारण करते हुए तीसरे पक्ष को भी अधिनियम की धारा 11(4) के तहत अपने निर्णय से अवगत कराते। मा0 सूचना आयुक्त द्वारा इस संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी चमोली को सुझाव दिया गया कि यदि आप निदेशालय स्तर के लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपकी व्यक्तिगत सूचना दिये जाने से असन्तुष्ट हैं तो अधिनियम की धारा–11 में दी गई व्यवस्था के अनुसार विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी / अधिकारियों की ए.सी.आर. ' देय ' सूचना है लेकिन यदि ए.सी.आर. स्वयं उस अधिकारी / कर्मचारी के अलावा कोई और मांग रहा है तो धारा – 11 की प्रकिया से गुजरना होगा।

मा0सूचना आयुक्त द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में गोष्ठी में उपस्थित सभी अधिकारीगणों से अपेक्षा की गई कि लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना अधिकार एक्ट,तथा समय–समय पर आर.टी.आई. के कियान्वयन के सम्बन्ध में मा0उच्च न्यायालय,मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 सूचना आयोग द्वारा जारी निर्णयादेशों का भी अवलोकन करते रहें तथा किसी भी प्रकार की सूचना जो आपके विभाग की अभिलेखीय सूचना है,को लोक सूचना अधिकारीगण खुले मन के साथ अनुरोधकर्ता को अपनी ओर से सही रूप में प्रदान करने का प्रयास करें, उसके पश्चात भी यदि कहीं त्रुटि होती है,तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख अपील में उसका सुधार किया जा सकता है। यदि अनुरोधकर्ता द्वारा तदुपरान्त मा0 आयोग के समक्ष अपील की जाती है तो आयोग भी लोक सूचना अधिकारी को अपना

पक्ष रखने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करता है। मा0 आयुक्त द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि मा0 आयोग में योजित होने वाली अपीलों में कहीं पर भी यदि यह दृष्टिगत होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया तथा उनकी मंशा सूचना उपलब्ध कराये जाने की है,तो आयोग द्वारा ऐसे लोक सूचना अधिकारी को किसी भी प्रकार से दंडित किये जाने का प्रयास नहीं किया जाता है और न ही किया जायेगा,लेकिन जहां पर बिल्कुल भी अधिनियम के प्राविधानों को ध्यान में रखते हुए सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रयास नहीं किया जाता है,तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने में बिल्कुल रूचि नहीं ली जायेगी,ऐसे प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 20(1) ,20(2) के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सभी लोक सूचना अधिकारियों को अवगत कराया गया कि सूचना अधिकार अधिनियम का केन्द्र बिन्दु आम नागरिक है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से आम नागरिक के प्रति शासकीय संस्थाओं एवं कार्यरत अधिकारियों,कर्मचारियों को जवाबदेह बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालय,अर्द्धसरकारी कार्यालय एवं शासकीय सहायता प्राप्त योजनाओं के एन0जी0ओ0,लोक सूचना प्राधिकरण/लोक प्राधिकारी हैं, इसलिये हम सभी को अपने दायित्वों,कर्तव्यों को समझते हुए समयान्तर्गत सूचना प्रकटीय करण का प्रयास करना है,ताकि भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। मा0 आयुक्त द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि किसी भी लोक सूचना अधिकारी की मंशा सूचना प्रदान करने की होनी चाहिए तथा कर्तव्य सूचना देना होना चाहिए।

15. गोष्ठी में एक मामला मा0 सूचना आयुक्त द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों के सम्मुख रखा गया कि उनके संज्ञान में यह बात आयी है कि कई ग्राम पंचायत में लोक सूचना अधिकारी महिला ग्राम प्रधान हैं किन्तु सारा काम प्रधान पति द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक आयोग की सुनवाईयों में भी प्रधान पति अथवा प्रधान पुत्र प्रतिभाग करने आ जा रहे हैं। मा0 आयुक्त ने कहा कि पंचायत राज एक्ट के तहत महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने एवं उनकी स्थिति को सशक्त [illegible] आरक्षण दिया जा रहा है ,उसका उद्देश्य [illegible] की स्थिति को सुदृढ़ करना है,तथा उनका चहुमुखी विकास करना है। ऐसे में प्रधान पति नाम की संस्था इस कानून का मजाक उडाती प्रतीत होती है।

उन्होंने कहा कि कतिपय महिलाओं प्रधानों द्वारा ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय बैठकों में स्वयं प्रतिभाग न करते हुए अपने स्थान पर अपने पति, भाई, देवर आदि को भेजा जाता है। इस प्रकार की कार्यशैली पंचायत राज एक्ट की भावनाओं के अनुरूप नहीं है।

16. बैठक में उपस्थित ज़िला कार्यालय के सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा बताया गया कि एक अनुरोधकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना हेतु आवेदन किया गया, नियत समयान्तर सूचना तैयार कर उन्हें सूचना का अतिरिक्त शुल्क जमा किये जाने हेतु नोटिस दिया गया, लेकिन अनुरोधकर्ता द्वारा अब सूचना का शुल्क जमा न करते हुए सूचना सी0डी0 में मांगी जा रही है,जबकि अनुरोध पत्र में साफ्ट कापी में सूचना दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। मा0 आयुक्त द्वारा कहा गया कि अनुरोध पत्र की सूचना अपने कार्यालय स्तर पर 10–15 दिन के मध्य तैयार करते हुए अनुरोधकर्ता को अतिरिक्त शुल्क का नोटिस प्रेषित कर दें,तथा नोटिस के क्रम में अतिरिक्त शुल्क होने पर अनुरोधकर्ता को अधिनियम की धारा 7(1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्ण की जाय। मा0 आयुक्त द्वारा कहा गया कि यदि आपकी मंशा सूचना देना है तो 30 दिन का समय पर्याप्त होता है,इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब होना सम्भव नहीं है। मा0 आयुक्त द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को अवगत कराया गया कि यदि लोक सूचना अधिकारी चाहें तो अतिरिक्त शुल्क का नोटिस जारी करते समय भी अपने विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्बन्ध में अवगत करा सकते हैं। जो सूचना कम्प्यूटर में उपलब्ध नहीं है उसे सीडी में देना बाध्यता नहीं है।

17. गोष्ठी/बैठक हेतु मा0 आयोग से प्राप्त प्रारूप पर सूचनायें संकलित करायी गई हैं,जिसकी सूची संलग्न की जा रही है। संकलित सूचनाओं की मूल पत्रावली मा0 आयोग को गोष्ठी/ बैठक स्थल पर ही उपलब्ध करायी गई।

गोष्ठी/बैठक के अन्त में मा0 सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड द्वारा सभी उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए सभी को बताया कि हम सब जनता के सेवक हैं,इसलिये हमें कानून, एक्ट, अधिनियम,सरकारी नीतियों,नियमों का पालन करते हुए समय–समय पर मा0 न्यायालयों एवं मा0 आयोग द्वारा पारित निर्णयादेशों का अवलोकन करते रहना होगा तथा उन्हें अंगीकृत करते हुए जनसामान्य/आम नागरिक जो कि अधिनियम का केन्द्र बिन्दु है,के प्रति जवाबदेह रहते

हुए सूचनायें प्रदान करनी होंगी। मा0 आयुक्त महोदय द्वारा अपेक्षा की गई कि हम सब भलीभांति विज्ञ हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करना है,जिससे अधिनियम को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। मा0 आयुक्त महोदय द्वारा किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर उसके समाधान हेतु व्यक्तिगत दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध कराये गये,जो निम्नवत् हैं :-

1 श्री प्रभात डबराल, मा0 सूचना आयुक्त,उत्तराखण्ड मो0नं0-9412050832

2. श्री नरेश बिजल्वांण, निजी सचिव, मा0 सूचना आयुक्त मो0नं0-9410592369

गोष्ठी/बैठक की समाप्ति पर नोडल अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी चमोली द्वारा मा0 सूचना आयुक्त को धन्यवाद दिया गया तथा मा0 आयुक्त द्वारा दी गई अद्यतन् जानकारी का लाभ उठाने की सभी उपस्थित अधिकारियों से अपेक्षा की गई।

(एस0 ए0 मुरूगेशन)
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली ।

संख्या :1321/तेंतालीस-3(2011-2012) दिनांक : गोपेश्वर ,26-9- ,2012

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव, मा0 सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून को मा0 आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

2. जनपद के समस्त लोक सूचना अधिकारी (प्रखण्ड स्तर तक के लोक सूचना अधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. समस्त सहायक लोक सूचना अधिकारी (प्रखण्ड स्तर तक) जनपद चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

4. समस्त विभागीय अपीलीय अधिकारी (प्रखण्ड स्तर तक) जनपद चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/9/12
जिलाधिकारी,
चमोली।

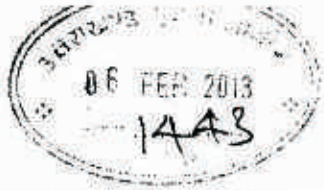

आज दिनांक–04,दिसम्बर,2012 को विकास खण्ड कार्यालय सभागार,ताड़ीखेत जनपद–अल्मोड़ा में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के कियान्वयन हेतु श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त महोदय,सूचना आयोग,देहरादून श्री अनिल कुमार शर्मा द्वारा की गई समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :–

सर्व प्रथम विकास खण्ड कार्यालय सभागार,ताड़ीखेत,जनपद–अल्मोड़ा में श्री अनिल कुमार शर्मा,श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त,सूचना आयोग,उत्तराखण्ड देहरादून के पधारने पर श्री अहमद इकबाल,संयुक्त मजिस्ट्रेट,रानीखेत एवं मा0 प्रमुख,क्षेत्र पंचायत,ताड़ीखेत तथा खण्ड विकास अधिकारी,ताड़ीखेत,श्रीमती मैनाली व सभा कक्ष में उपस्थित विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारियों तथा विकास खण्ड के अधिकॉश लोक सूचना अधिकारियों/प्रधानों द्वारा स्वागत किया गया तदोपरॉन्त समीक्षा बैठक में निम्नवत् चर्चा की गई :–

समीक्षा बैठक में सर्व प्रथम श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा सभा कक्ष में उपस्थित समस्त को अवगत किया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 का मूल उददेश्य पारदर्शिता व भष्ट्राचार को जड़ से खत्म करने की बात सदन/सभाकक्ष में उपस्थित समस्त उपस्थित अधिकारियों/प्रधानों को दी गई। इसके अतिरिक्त श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा आज की समीक्षा बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों की भी वास्तविक उपस्थिति की जानकारी भी चाही गई। तथा निर्देशित किया गया कि अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों के समाधान में शिकायतकर्ता से रूबरू होने के लिये समाज की दशा व दिशा बदलने कि लिये पारदर्शिता व ईमानदारी पर जोर देने का आग्रह किया गया। तथा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत विभिन्न धाराऐं जैसे धारा संख्या–04 व धारा संख्या–25(5) के कियान्वयन की विस्तृत जानकारी सदन को दी गई। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि यदि अभिलेख की समय सीमा अत्यधिक अथवा 15–20 वर्ष से अधिक हो गई हो लेकिन अभिलेख कतिपय कारणों से कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। तो ऐसी स्थिति में अभिलेख कार्यालय में सुरक्षित न होने अथवा वीडिंग हो जाने की सूचना अनिवार्यतः विभागीय उच्चाधिकारी की जानकारी में लाये जाने के भी निर्देश दिये गये। साथ ही गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले परिवार द्वारा चाही जाने वाली सूचना को निम्नानुसार उपलब्ध कराये जाने के के निर्देश दिये गये:–

1. अपीलकर्ता/प्रार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी यदि स्वयं उससे संबधित है तो वह सूचना उस प्रारुप में उपलब्ध कराई जायेगी,जिसमें उसे मांगा गया है।
2. अपीलकर्ता/प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना में से जहां तक ऐसी सूचना का संबंध में जो स्वयं उससे संबधित नहीं है तब ऐसी 50छायाप्रति पृष्ठों(ए4साईज के)तक की सूचना जिसे देने में रु0100/–तक का व्यय हो,उसे भी मांगे गये प्रारुप में उपलब्ध कराया जायेगा तथा
3. अपीलकर्ता/प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना में से जहां तक ऐसी सूचना का सम्बन्ध है, जो आवेदक से सम्बन्धित नहीं है,किन्तु ऐसी सूचना है जो 50छायाप्रति पृष्ठों से अधिक की है या उसे तैयार करने में रु0100/–से अधिक खर्च आता है तब लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता/प्रार्थी को अपने कार्यालय से सम्बन्धित अभिलेखों/पत्रावलियों के अवलोकन करने तथा वांछित सूचना को (रु0100/–के निःशुल्क व्यय सीमा तक)इंगित करने का अवसर भी उपलब्ध कराया जायेगा। रु0100/–की सीमा से अधिक व्यय को केवल निर्धारित दर पर भुगतान के आधार पर ही उपलब्ध कराया जा सकेगा।
4. जहां तक मांगी गयी सूचना के सापेक्ष संबंधित अभिलेखों के मात्र अवलोकन का प्रश्न है,उनके प्रथम एक घण्टे तक निःशुल्क अवलोकन की सुविधा उत्तराखण्ड राज्य सरकार के द्वारा प्रख्यापित नियमावली में पहले से ही उपलब्ध है।

क्रमशः दो पर

परन्तु अनुरोधकर्ता द्वारा मांगी गई सूचना में से जहां तक ऐसी सूचना का सम्बन्ध है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 द्वारा निर्धारित 17 मैनुवलों की जानकारी सदन को प्रदान की गई,तथा सूचना के अधिकार अन्तर्गत धारा संख्या–08 के अन्तर्गत अभिलेखों को 20 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने की भी जानकारी दी गई। तदोपरान्त लोक सूचना अधिकारी/प्रधान,ग्राम पंचायत–पजीना,विकास खण्ड,ताड़ीखेत द्वारा श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि यदि कोई व्यक्ति सूचना के अधिकार अन्तर्गत 15–20 वर्षों का रिकार्ड चाहता है तो क्या ऐसी स्थिति में उसको नियत समय से अतिरिक्त समय अन्तर्गत भी सूचना दी जा सकती है पर श्रीमान् द्वारा सूचित किया गया कि एक्ट के अनुरूप चाहे जो भी सूचना हो उसकी नियत अवधि 30 दिन है,जो 30 दिन के भीतर ही भीतर अनिवार्यत: दिये जाने बाबत् सूचित किया गया। साथ ही यह भी सूचित किया गया कि ऐसी स्थिति में पत्र प्राप्ति के 05 दिन भीतर संबंधित आवेदनकर्ता को पत्र जारी करें कि चाही गई सूचना संकलित करने में समय लग सकता है जैसे ही सूचना संकलित हो जावेगी तुरन्त आपको प्रस्तुत कर दी जावेगी।

इसी क्रम में लोक सूचना अधिकारी/प्रधान,ग्राम पंचायत,गाडी,श्री उमेश चन्द्र पपने द्वारा प्रधानों को काफी लम्बी अवधि से उनको दिये जाने वाले मानदेय को दिलाये जाने की जानकारी श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाई गई जिस पर श्रीमान् द्वारा प्रकरण को सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आयोग को प्रेषित कर प्रकरण का परिक्षण करने के उपरान्त सरकार से संबंधित मामले में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने की बात सदन के सम्मुख रखी गई। लोक सूचना अधिकारी/प्रधान,ग्राम पंचायत–तिपोला,श्री राजेन्द्र कुमार द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत आवेदनकर्ता को सूचना दिये जाने अथवा सूचना की छाया प्रति किये जाने हेतु 20 से 25 कि0मी0 तक प्राईवेट वाहन से जाना पड़ता है जिसका कोई किराया अथवा छाया प्रति की धनराशि प्राप्त नहीं होती है कि मी जानकारी श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाई गई। इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी/प्रधान,ग्राम पंचायत,हरोली गनोली,श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत सूचना चाहने वाले व्यक्ति को सूचना दिये जाने पर छाया प्रति किये जाने हेतु कोई कन्टीजैन्सी न होने की बात सदन के सम्मुख रखी गई। इसी क्रम में विकास खण्ड कार्यालय में कार्यरत कतिपय ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत सूचना चाहने वाले व्यक्ति को सूचना दिये जाने पर ग्राम पंचायत स्तर पर किसी प्रकार की धनराशि उपलब्ध न होने की जानकारी श्रीमान् आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाई गई,जिस पर श्रीमान् आयुक्त द्वारा उपस्थित ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को अपनी वेदनाओं को श्रीमान् संयुक्त मजिस्ट्रे महोदय,रानीखेत को देने के निर्देश दिये गये ताकि संयुक्त मजिस्ट्रेट,रानीखेत के स्तर स प्राप्त पत्र/ज्ञापन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु उत्तराखण्ड सरकार को अवगत कराया जा सके। इसके अतिरिक्त श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि सूचना दिये जाने से पूर्व सूचना प्राप्ति के लिये धनराशि की मॉग रजिस्ट्री डाक से ही आवेदक से की जाय। क्रम को आगे बढ़ाते हुऐ नगर सेवा योजन अधिकारी द्वारा भी एक प्रकरण जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा 48 घण्टे में सूचना दिये जाने की जानकारी महोदय के संज्ञान में लाई गई जिस पर महोदय द्वारा मात्र जीवन रक्षा से संबंधित सूचना को ही 48 घण्टे के भीतर दिये जाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार अधिशासी अभियन्ता (प्रान्तीय खण्ड)लोक निमार्ण विभाग,रानीखेत श्री के0एस0असवाल व पुलिस उपाधीक्षक,रानीखेत श्री विमल कुमार आचार्य द्वारा भी सूचना के अधिकार से संबंधित प्रकरणों पर महोदय को अवगत कराया गया। प्रधानाचार्या,राजकीय बालिका इण्टर कालेज,ताड़ीखेत द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्र साफ पढ़ाई में न आने विषयक महोदय के संज्ञान में लाया गया,जिस पर महोदय द्वारा प्रधानाचार्या को निर्देशित किया गया कि वे पुनः शिकायतकर्ता/अनुरोधकर्ता को सुस्पष्ट पत्र प्रेषित किये जाने हेतु आग्रह करें। प्रधानाचार्या द्वारा सूचना के अधिकार अन्तर्गत कार्यालय व्यय मद मद धनराशि उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध किया गया। इसी क्रम में प्रधानाचार्य,मण्डलकोट,प्रधानाचार्य,जैना व अधिशासी अभियन्ता,विद्युत वितरण खण्ड,रानीखेत, वरिष्ठ

क्रमशः तीन पर

—3—

प्रशासनिक अधिकारी,तहसील,रानीखेत द्वारा भी सूचना के अधिकार अन्तर्गत आ रही समस्याओं को श्रीमान् राज्य सूचना आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया। तदोपरॉन्त समस्त उपस्थित लोक सूचना अधिकारियों/विभागीय अपीलीय अधिकारियों की उपस्थिति व सुझावों को ध्यान में रखते हुऐ समीक्षा बैठक का समापन किया गया।

संयुक्त मजिस्ट्रेट
रानीखेत

आयोग द्वारा दी गयी इन्टर्नशिप

13. आयोग द्वारा दी गयी इन्टर्नशिप

सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रख्यापन सरकारी कार्यों में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता लाने तथा सरकारी सूचना तक सामान्य नागरिकों की पहुंच को सुलभ बनाने के उद्देश्य से किया गया था. जनसामान्य द्वारा अधिनियम की उपयोगिता एवं महत्व को समझते हुये विगत सात वर्षों में इसका बहुत उपयोग किया गया है. पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने में सूचना का अधिकार अधिनियम के महत्व के कारण ही इसे अब विधि के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है. देश के विभिन्न विधि महाविद्यालयों द्वारा अपने छात्रों को अब सूचना का अधिकार अधिनियम विषय पर इन्टर्नशिप किये जाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है.

इस परिप्रेक्ष्य में यह कहना भी समीचीन होगा कि राज्य का किशोर एवं युवा वर्ग जो सदैव नवीन तथ्यों के उद्घाटन हेतु तत्पर रहता है, उन्होने भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है. उत्तराखण्ड राज्य के निवासी कतिपय छात्रों द्वारा, जो विधि स्नातक की शिक्षा अन्य राज्यों में ग्रहण कर रहे है, अपने ग्रीष्मावकाश काल का सदुपयोग करते हुये उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्रशिक्षण प्राप्त करना श्रेयस्कर समझा, तथा इसी क्रम में माह जून 2012 में श्री श्रेयस अग्रवाल (राजकीय विधि महाविद्यालय, मुम्बई), श्री सागर सरीन (राजकीय विधि महाविद्यालय, मुम्बई) तथा दिसम्बर 2012 में श्री अर्जुन आनन्द (भारतीय विद्यापीठ विधि महाविद्यालय, पुणे), सुश्री आयुषी श्रीवास्तव (संजीवन दामोदरन विधि महाविद्यालय, विशाखापत्तनम) एवं श्री हर्षवर्धन धानिक (संजीवन दामोदरन विधि महाविद्यालय, विशाखापत्तनम) द्वारा आयोग की उप सचिव डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय के मार्गदर्शन में एक माह की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा निर्णीत वादों का गहन अध्ययन किया गया. सम्पूर्ण प्रशिक्षण काल में इन विद्यार्थियों द्वारा जिस निष्ठा और मनोयोग से प्रत्येक पत्रावली का गहन अध्ययन किया गया वह अवश्य ही सराहनीय था. सूचना के अधिकार की अपरिसीम परिधि के अन्तर्गत विभिन्न विषयों की व्यापकता को स्पर्श करना, उनके विधिक कोणों का आकलन करना एवं आयोग द्वारा प्रदत्त निर्णयों को हृदयंगम करना कोई सहज कार्य न था परन्तु इस अधिनियम के सुदूरगामी प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुये, इन विद्यार्थियों ने विषय को केवल परिवीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं वरन इसे real spirit में ग्रहण किया। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत वादों के case studies को पूर्ण करने में इन विद्यार्थियों की रूचि परिलक्षित हुयी. साथ ही कतिपय वादों के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णयों का भी अत्यन्त विचक्षणता के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया.

सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने अध्ययन के समापन से पूर्व dissertations भी लिखे गये जिनमें सूचना के अधिकार का इतिहास, देश में इसके क्रियान्वयन से पूर्व नागरिक संगठनों द्वारा किया गया सुदीर्घ प्रयास एवं उत्तराखण्ड राज्य में आयोग के गठन के प्रारम्भ से लेकर अब तक विचारित प्रकरणों की समीक्षा की गयी एवं उन्हें प्रांजल भाषा में लिपिबद्ध किया गया; जिन्हें पढ़कर अवश्य कहा जा सकता है कि इस अधिनियम में निहित जनहित के अवयव को, राज्य के किशोर मन ने स्वाध्याय से ग्रहण किया है. इन विद्यार्थियों द्वारा लिखित dissertations निम्नवत् है :

- Right to Information - The Journey so far (SHREYES AGARWAL)
- RTI - The Key to Better Governance (SAGAR SARIN)
- RTI - Striving for a Way Forward (ARJUN ANAND)
- RTI - A Study of its Implementation and Success Attained pertaining to orders given by Uttarakhand Information Commission (AYUSHI SRIVASTAV)
- A Study of Hon'ble High Court's Decisions Pertaining to Orders given by Uttarakhand Information Commission (HARSHVARDHAN DHANIK)

प्रस्तुत रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण में dissertations के कतिपय अंश प्रस्तुत किये जा रहे है.

Almora

Someshwar - Everyone in the village had a ration card but after the village panchayat elections two years ago all the ration cards were collected and sent to the block office and it was said that new ration cards would be issued. But even after two years the cards hadn't reached, which was causing problems for the community as well as the ration-shop owners.

The biggest suffers were the people who had BPL and Antyodaya cards (people who are very poor and live below the poverty line). Finally Devendra Singh Rawat from the Josh Bal Panchayat got tired and went to talk to the Village Pradhan and ask him to help, but it was of no use.

He then filed an RTI application at the Block Development Office asking for information as to why the cards had not been made. After 26-27 days the Village Pradhan and the Village Development officer came to visit Devendra and said "If you had told us that you were going to ask for information I would have made your ration card earlier." The work that had not happened for two years was completed in 2 days.

Nainital

Bhoomiadhar - For the last 2 years there has been no commerce teacher at the Government Junior High School, Bhoomiadhar. Instead these classes were allocated to a language teacher who taught Sanskrit. Even though the parents and students protested there was no response from the school authorities.

Finally Inder, who studies in class VIII decided to highlight this issue during the RTI workshop. As he was a student of the school it was decided that the RTI would not be filed by him - so Monika who was now studying in BA 2nd year at the Govt. college and had graduated from the school decided to file the RTI application on the issue. Within twelve days a commerce teacher was appointed to the school and classes have commenced. The entire community was very happy with the outcome of filing the RTI.

Bageshwar

Bageshwar - Tara Dutt's name had been removed from the BPL list during the BPL survey. He was not told why his name had been removed.
He then filed an RTI to which he received a response, but it was not complete.

So he filed an appeal with Block Development Officer with the help of Bhuvan Chandra Pandey the SIMAR facilitator.

The decision given at the appeal was that within 2 months Tara Dutt will get his BPL number and the "Kanya Dhan" (A government scheme, where Rs 12000/- is given in stages to the girl child as a fixed deposit which she gets when she completes class 12) money that had been stopped (because of the removal of his name from the BPL list) was restarted with immediate effect.

Deval

Hansa Devi filed an RTI application regarding a path that was close to their house that had to be concretized but even though the MLA had sanctioned the funds there was no evidence of any work moving forward.

The RTI application was transferred to the BDO under section 6 (3) of the act. When the BDO saw that Hansa Devi had asked for the information he told the postman not to give Hansa Devi the post that would come in reply to the application.

The postman while handing over the letter to Hansa Devi informed
her that the BDO was trying to prevent the mail from reaching her. The answer to the application says that 2 lakhs were sanctioned of which 1.5 lakhs had been received and the rest would be sent shortly. Hansa Devi has said that if work does not start soon she will file another RTI application.

Khatima - Priya Gupta is a librarian, she had moved to a new house about 15 years ago. During the process of moving she had paid all her outstanding dues including the electricity bills for which she had fortunately kept all the receipts.

The electricity department had suddenly sent her a bill of Rs 75,000/- citing unpaid bills from the old connection. She then filed an RTI application to find out why she had received such a large bill. When she visited the electricity department and mentioned it to them the bill was cancelled and the amount waived.

Nainital - When Meena Arya filed an RTI asking about computer education in their school, teachers scolded and threatened the kids
(The school had been collecting computer fees of Rs. 120 per child
annually, but there are no computers in the school, even though computers had been sent in 2002).Computers have been returned to the schools and the children are now attending computer classes

An unplanned benefit of the RTI campaign: This situation occurred in the first place because the people were unwilling to confront the teachers who had misappropriated the computers (as well as funds from the state to maintain them and the computer fees paid by the

children)

Pithoragarh - In many mountain villages the electric voltage is so low that children have to light candles to study at night. Vimala Basera filed an application asking about the low voltage just before their exams. She did not get a response but the voltage got better. RTI requests about low electricity voltage in at least four other communities around the state had a similar result.

Alcoholism is also a severe problem in Pithoragarh and the children filed a request asking how many raids (and where) were conducted to crack down on illegal alcohol and how much illegal alcohol has been confiscated. The request resulted in a significant reduction in the presence of illegal liquor in their community.

Dehradun - In the main road leading into the village, giant cement water pipeshad been lying in the roadway for more than year. Since the road was also dug-up for the laying of cables, it presented a significant hazard and had been the site of numerous accidents, but no one had tried to address the situation.

Sixteen-year-old Devrat submitted an RTI request asking how long the pipes would remain and who would be responsible for any accidents caused by their presence. The pipes were promptly removed.

Dehradun - All the roads in their area were in very bad shape, streetlights had not been functioning for three years, and the toilet in the local college was never cleaned.

After they submitted some RTIs for information on these issues, 6
roads (all the major ones) have been repaired, streetlights have been fixed, and the college toilet is now kept clean. They had also inquired about public garbage receptacles. They have not yet received a response to that query, but the garbage that had been lying around was removed.

Pauri - Dredging sand from rivers and selling it has become a profitable business in the mountains.

Moneyed interests often bribe local officials to look the other way while they remove the sand, with little concern for the environmental impact or its affect on the fields of the people living there.

Beena Bisht wrote an application requesting information on uncontrolled sand quarrying from the river near her village. Some members of her community threatened her but her family supported her, and now the Panchayat (village council) has passed a rule saying that only the villagers will mine for sand and permission will be taken from the village before quarrying the sand.

Gairsain - Poonam Kandari filed an RTI application for the birth registration of a young girl whose father was unknown. Her grandmother and SBMA had been trying to get this child's certificate for several years because the secondary school refused to admit her without a birth registration certificate, but the bureaucrats refused to budge.

Following Poonam's RTI request, the village Pradhaan (council leader) suddenly produced a birth certificate for the child. He had received an order from higher up to register the child's birth without any further delays.

Uttarkashi - The Indian government has an Auxillary Nurse Midwife (ANM) program designed to train women who can go into the villages and provide health care and immunization services to people in their homes.

Jaideep Negi submitted an RTI asking how often the ANM was supposed to visit the village because she was staying at the ANM center in town and telling the villages to come to her. The Chief Medical Officer ordered the ANM to visit the village and she is doing so regularly.

Notably, the ANM initially tried to bully Jaideep and the SBMA facilitator into dropping the RTI, but the facilitator took the innovative step of getting several more people from other villages in the ANM's working area to submit similar requests. Once more, the RTI project helped sow the seeds of local activism.

Anand Prakash Vs. PIO, Haridwar Development Authority.

Appeal No. : 7821/2012.

Before: N. S. Napalchyal, State Chief Information Commissioner, Uttarakhand.

In this case Mr. Anand Prakash has filed the second appeal before the commission on the ground that he has not been provided with the information sought from the Public Information Officer and the Departmental Appellate Authority of the Haridwar Development Authority, Uttarakhand against his RTI application.

The appellant has sought information from the Haridwar Development Authority, Uttarakhand on 3 points regarding the information of a 4 floor building and the basement.

The Public Information Officer in his letter has provided the information that Map No.- S.W. 171/2010-2011 is validated by the authority. The representative of the Public Information Officer informed the commission that the copy of the map will only be provided after paying the extra fees of Rs.100 which has not been payed to the authority by the appellant yet.

The representative of the Public Information Officer further

informed the commission that in his letter, the Public Information Officer has provided the name of the officer who has passed the map and the name of the enquiry officer against points 2 and 3 sought in the RTI application.

The appellant then informed the commission that he has already deposited a sum of Rs. 100 and to prove this the appellant provided the commission with the receipt of the payed money.

The commission then directed the Public Information Officer ,Haridwar Development Authority, Uttarakhand to provide the copy of the map to the appellant within one week through a registered post and send a copy of the same to the commission that the information has been provided to the appellant within due time.

Perceiving no other ground left in the appeal it was dismissed.

Dinesh Chandra Bhatt Vs. PIO, Nagar Palika Parishad, Nainital.

Appeal No. : 7795/2012.

Before: N. S. Napalchyal, State Chief Information Commissioner, Uttarakhand.

In this case the appellant has sought information on 8 points from the Public Information Officer, Nagar Palika Parishad, Nainital.

The Public Information Officer has provided the information on the first 4 points.

Information on points 5,6,7 of the RTI application has also been provided.

Point 8 has been referred as 'Questionable'.

Unsatisfied from the furnished information the appellant appealed to the Departmental appellate authority who directed the Public Information Officer to provide the sought information to the appellant.

The appellant told the commission that he has been provided with the incomplete information on point no. 5 and the information regarding the Cow-Shed and the related officers has not been provided.

Also no clear information has been provided on point no. 6 and on point no. 7 incomplete and false information has been provided.

The commission came down heavily on the Public Information Officer and gave him a strict warning to furnish proper, apt and correct information to the appellant within 1 week free of cost through registered post.

It was also directed to the Public Information Officer to allow the appellant to inspect the required documents that he has asked for in the RTI application.

Perceiving no other ground left in the appeal it was dismissed.

Rajeev Barthwal Vs. PIO, Secretary MES Employee Cooperation Committee.

Appeal No. : 6404/2011.

Before: Anil Kumar Sharma. State Information Commissioner, Uttarakhand.

In this case, the appellant in his RTI application has sought information on 16 points. Commission while hearing the case has deeply examined the application and the question asked in the RTI application and has reached to the conclusion that maximum points that are asked in the application are not under the purview of Right to Information Act, 2005 and thus the Public Information Officer (PIO) is not bound to furnish the information.
Despite this, information has been provided on some points by the Public Information Officer. The commission has strictly warned the appellant that he should not abuse the provision of the Right to Information Act, 2005 and should use them in good faith.

Apart from this there were many important issues that were brought into the notice of the commission by the appellant through this application regarding the process of working of the committee.

Commission has ordered the appellant to write an application stating all the allegations that he has made on the committee to send it to District Assistant Registrar Cooperative, Development Office, Survey Chowk, Dehradun.

Commission taking the allegations into account and taking their arena in the wide 'Public Interest' has also ordered District Assistant Registrar Cooperative, Development Office, Survey Chowk, Dehradun to take the application very seriously about the complaints and allegations made by the appellant and conduct a detailed enquiry about the same within one month.

The commission also directed District Assistant Registrar Cooperative, Development Office, Survey Chowk, Dehradun that if the secretary of the MES Employee Cooperation Committee is found guilty of the allegations made then they should take sufficient legal action against

him and send a copy of the report and penalty to the commission within due time.

The commission has specifically asked Mrs. Ravindri Mandarwal to conduct the enquiry by herself and perceiving no other ground left in the appeal it was dismissed.

Chaudhar Bool Singh Vs, PIO, Gram Daada Patti, Development Office Bhagwanpur, Haridwar.

Appeal No. : 6406/2011.

Before: Anil Kumar Sharma. State Information Commissioner, Uttarakhand.

In this case the appellant has alleged that after year 2008, the Below Poverty Line (B.P.L.) cards were delivered in large number to such people who were the 'Zamindars' or were the people who were not entitled or competent to receive those cards.

On the complaint of the appellant the commission directed Mr. Bhagwan Singh Negi, Assistant Block Development Officer to conduct an enquiry into the matter but contrary to the order of the commission the Block Development Officer made the enquiry conducted by the Assistant Development Officer.

In the report submitted by the Assistant Development Officer there were no irregularities found and this was objected by the appellant. The commission further directed Mr. Bhagwan Singh Negi, Assistant Block Development Officer to conduct the enquiry himself and submit the report to the commission on the due date as stated by the commission.

The report was put forth before the commission but this was also objected by the appellant as it did not had the statistics and reports from the year 2006. The commission further directed Mr. Negi to collect all the data from the year 2006.

Mr. Negi submitted his report before the commission which was further made available to the appellant. It was also mentioned that Mrs. Premvati Arora, Former Block Development Officer, Bhagwanpur was suspended before on the allegations of corruption in the same matter.

The commission also adviced the appellant to proceed legally with this matter with the information and data he has so as to seek the remedy. The commission also ordered a 'Negative Remark' in the Character Roll Entry of the Departmental Appellate Authority/ Block Development Officer ,Block Development , Bhagwanpur, Haridwar and perceiving no other ground left in the appeal it was dismissed.

Harish Kandwal Vs. PIO, Minor Irrigation Division, Paudi, Garhwal.

Appeal No. : 7852/2012.

Before: Mr. Prabhat Dabral, State Information Commissioner, Uttarakhand.

In this case the appellant has asked information regarding a brook from the PIO. Unsatisfied from the given information, the appellant appealed to the Departmental Appellate Authority.

Departmental Appellate Authority ordered that if the appellant is unsatisfied from the information provided, he can go to the office and inspect the required documents so as to avoid the situation of ambiguity.

The copy of the order was sent to the appellant but no such copy was produced before the commission.

The Commission considered this to be a mistake of the Public Information Officer and is an offence punishable under the Right to Information Act, 2005.

Since the Public Information Officer is of the rank of the Main Assistant , the commission left the Public Information Officer with a mere strict warning and no penalty imposed.

The commission warned the Public Information Officer to not to repeat the same mistake again else a strict legal action will be taken against them.

The Public Information Officer should take this in consideration that the responsibility of providing the information is of the Public Information Officer and not of the Assistant Public Information Officer.

Hence proper procedure should be followed by the department while furnishing the information.

Perceiving no other ground left in the appeal it was dismissed.

Cases in which compensation has been awarded to the appellants:

*Section 19(8)(b) of the Right to Information Act, 2005 states that-

In its decision, the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, has the power to-
"require the Public Authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered."

Ramesh Chandra Sharma Vs. PIO, Fertilizer Department, Uttarakhand Govt., Secretariat, Dehradun.

Appeal No.: 5697/2011

In this case the appellant was served the 'Show-Cause' notice as to why he has transferred the RTI application of the appellant after 4 months and 27 days and why should not a penalty of Rs 250 per day amounting to Rs. 10,000 be imposed on him?

The appellant pleaded before the commission for a compensation of Rs. 10,000 on account of loss of his time and energy.

The commission served another notice to the secretary of the department as to why should not a penalty of Rs. 10,000 be imposed on the department so as to compensate the appellant.

The Public Information Officer has informed the Commission that he has not received the application of the appellant thus he was not able to furnish the required information.

Considering this situation, the commission reached the conclusion that it is not only the responsibility of the Public Information Officer but also of the whole department if an RTI application is lost and whole department should endure the responsibility of this.

Commission didn't took it to be the responsibility of the Public Information Officer alone and thus took the 'Show-Cause' notice back taking the cognizance of the situation.

The commission ordered the Secretary of the department to pay a compensation of Rs. 5000 within 45 days and gave a copy of the same to the commission.

Also the Public Authority will have the right to receive the compensation amount from that level of department which has been irresponsible with regard to the receiving of the application and procedure of the Act.

Since all the information now has been provided by the Public Information Officer to the appellant and perceiving no other ground left in the appeal it was dismissed by the commission.

Sandeep Tyagi Vs. PIO, Nagar Palika Parishad, Roorkee, Distt. Haridwar.

Appeal No.: 5258/2011

In the present case the commission has served a 'Show-Cause' notice to the Authority as to why should not a penalty of Rs. 5000 be imposed on them so as to compensate the appellant since it took more than a year for the department to provide the required information to the appellant against his RTI application?
The present Public Information Officer has informed the commission that delay in providing the information has been caused in the term of the former Public Information Officer.

The former Public Information Officer has informed the commission that the order of the Departmental Appellate Authority was never brought in his notice and thus he has not provided the appellant with the required information.

The commission has blamed neither the former Public Information Officer nor the Present Public Information Officer but has held responsible the whole department and their flawed working methodology.

Unsatisfied with the reply given against the 'Show-Cause' notice, the commission has ordered the department to compensate the appellant with an amount of Rs. 3000 within 45 days and send a copy of the same to the commission.

Since the commission has not considered the former and the present Public Information Officer liable for the delay, the issued 'Show-Cause' notice was the taken back by the commission.

Also the Public Authority will have the right to receive the compensation amount from that level of department which has been irresponsible with regard to the receiving of the application and procedure of the Act.

Since all the information now has been provided by the Public Information Officer to the appellant and perceiving no other ground left in the appeal it was dismissed by the commission.

वर्ष 2012–13 में
आयोग को प्राप्त बजट

संख्या– /XXXI(13)G/2013–25(बी0–3)/2012

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
देहरादून।

सामान्य प्रशासन विभाग **देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2013**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2012–13 में अधिष्ठान मदों में अनुदान सं0–06 के अन्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–555/XXXI(13)G/2013–25(बी0–3)/2012, दिनांक 15.02.2013 एवं संख्या–588/XXXI(13)G/2013–25(बी0–3)/2012, दिनांक 06.03.2013 के द्वारा अनुदान संख्या–06 के आयोजनेत्तर पक्ष अन्तर्गत अधिष्ठान मदों में क्रमशः ₹ 6,65,000.00 (₹ छः लाख पैंसठ हजार मात्र) एवं ₹ 12,00,000.00 (₹ बारह लाख मात्र), कुल धनराशि **₹ 18,65,000.00** (₹ अट्ठारह लाख पैंसठ हजार मात्र) को संलग्न अलाटमेंट आई0डी0 S1303060108 के द्वारा अवमुक्त कर व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उपरोक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 21.11.2012 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।
2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाईयों के नाम में डाला जायेगा।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 वल्दिया)
संयुक्त सचिव

संख्या– 780 (1)/XXXI(13)G/2013–25(बी0–3)/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–1/5
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एन0 शर्मा)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, GAD (S017)

आवंटन पत्र संख्या - 779 /xxxi(13)G/2013

अलोटमेंट आई डी - S1303060108

अनुदान संख्या - 006

आवंटन पत्र दिनांक - 08-Mar-2013

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

1: **लेखा शीर्षक -** 2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

00 -

800 - अन्य व्यय

13 - सूचना आयोग की स्थापना

00 - सूचना आयोग की स्थापना

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	5500000	0	5500000
02 - मजदूरी	230000	0	230000
03 - महंगाई भत्ता	3740000	0	3740000
04 - यात्रा व्यय	140000	0	140000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20000	100000	120000
06 - अन्य भत्ते	600000	80000	680000
07 - मानदेय	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	850000	230000	1080000
09 - विद्युत देय	220000	0	220000
10 - जलकर / जल प्रभार	20000	0	20000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	170000	0	170000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10296000	0	10296000
13 - टेलीफोन पर व्यय	280000	290000	570000
14 - कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कार	1000	0	1000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पे	1400000	0	1400000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	3000000	1165000	4165000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	1075000	0	1075000
18 - प्रकाशन	120000	0	120000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्या	10000	0	10000
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	150000	0	150000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	100000	0	100000
42 - अन्य व्यय	600000	0	600000
44 - प्रशिक्षण व्यय	100000	0	100000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	100000	0	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	220000	0	220000
	28992000	**1865000**	**30857000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1865000

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची वर्ष 2012 – 13

क्र.सं.	नाम एवं	पदनाम
1	श्री एन. एस. नपलच्याल,	मुख्य सूचना आयुक्त
2	श्री विनोद नौटियाल,	राज्य सूचना आयुक्त
3	श्री अनिल कुमार शर्मा,	राज्य सूचना आयुक्त
4	श्री प्रभात डबराल,	राज्य सूचना आयुक्त
5	श्री मदन सिंह कुण्डरा,	सचिव (31/05/2012 तक)
6	श्री विनोद कुमार सुमन,	सचिव (01/06/2012 से)
7	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय,	उपसचिव
8	श्री राजेश नैथानी,	निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त
9	श्री टी. एस. बिष्ट,	विधि सलाहकार
10	श्री मनमोहन नैथानी,	लेखाकार
11	श्रीमती हीरा रावत,	समीक्षा अधिकारी
12	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै,	सहायक समीक्षा अधिकारी
13	श्री उमेश चन्द्र सिंह,	सहायक समीक्षा अधिकारी
14	श्री सौरभ कुमार,	सहायक समीक्षा अधिकारी
15	श्री जितेन्द्र पाण्डे,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
16	श्री नरेश बिजलवाण,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
17	कु. नीतू रावत,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
18	कु. नीतू भण्डारी,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
19	श्री कवि शंकर,	आशुलिपिक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर
20	श्रीमती रजनी भण्डारी,	कम्प्यूटर आपरेटर
21	सुश्री पूनम डबराल,	कम्प्यूटर आपरेटर
22	श्री शैलेन्द्र हटवाल,	कम्प्यूटर आपरेटर
23	श्री नरेन्द्र सिंह गनघरिया,	कम्प्यूटर आपरेटर
24	सुश्री आशा घिल्ड़ियाल,	कम्प्यूटर आपरेटर
25	श्रीमती अमृता गुरूंग,	कम्प्यूटर आपरेटर
26	श्री फकीर सिंह,	अनुसेवक
27	श्री मनोज कुमार,	अनुसेवक

28	श्री मनोज सिंह,	अनुसेवक / डाक रनर
29	श्री प्रदीप खत्री,	अनुसेवक
30	श्री रवेन्द्र सिंह,	अनुसेवक
31	श्री हरपाल सिंह,	अनुसेवक
32	श्री सुन्दर सिंह धामी,	अनुसेवक
33	श्री सरेन्द्र पाल,	अनुसेवक
34	श्री विपिन कुमार,	वाहन चालक
35	श्री नागेन्द्र भट्ट,	वाहन चालक
36	श्री नन्दू सिंह,	वाहन चालक
37	श्री धारा सिंह,	वाहन चालक
38	श्री बृजमोहन,	वाहन चालक
39	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत,	सुरक्षा गार्ड
40	श्री डबल सिंह रावत,	सुरक्षा गार्ड
41	श्री वासुदेव पंथी,	सुरक्षा गार्ड
42	श्री राजेन्द्र सिंह राणा,	सुरक्षा गार्ड

सूचना का अधिकार

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून

दूरभाष : 0135 - 2675780, 2675779 ईमेल : uicddn@gmail.com

XtremeIDEAS | 8057999080